कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(राजस्व शाखा)

पत्रांक– .... / रा0, दिनांक........................... /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– किन्हीं दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति से संबंधित विज्ञापन निविदा पाँच प्रति तथा इसकी सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 992 / रा0, दिनांक 25.11.2017

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र निविदा प्रकाशित करने कराने की कार्रवाई करें।

प्रतिलिपिः– NIC, खगड़िया को निविदा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निविदा को जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(राजस्व शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति

प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3024/एम0, दिनांक 11.10.2017 के निदेशानुसार लघु खनिज का थोक व्यापार बिहार खनन निगम द्वारा किया जाएगा तथा खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियों समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। नव प्रख्यापित बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 की धारा 45 के तहत् खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत्त है।

पूर्व में निर्गत विज्ञापन के आधार पर जारी खुदरा लाइसेंसो के पश्चात भी पर्याप्त मात्रा में खुदरा अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकी। अतः पुनः अलौली में 05, मानसी में 02, चौथम में 03, गोगरी में 02, परबत्ता में 03 तथा बेलदौर में 05 अनुज्ञप्ति के लिए सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्मों से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता हैं।

1. अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अहर्त्ता होगी :–

V. अनुज्ञिप्तधारी को, जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।

VI. अनुज्ञिप्तधारी के पास कम–से कम 5 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होगा तथा गाड़ियों हेतु संपर्क पथ होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालात में सरकारी अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाने चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं भूमि नहीं है तो किराये दर पर व्यवस्था कर सकते है, तथा इस आशय का दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर देना अनिवार्य है।

VII. अनुज्ञप्तिधारी को Pan Card Holder तथा Aadhar Card कार्ड होना अनिवार्य है।

VIII. अनुज्ञिप्तधारी को Police Verification Report भी देना अनिवार्य होगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्ते :–

X. खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा।

XI. अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा।

XII. नियम 53 के तहत् अनुज्ञप्तिधारी के पास यदि अपने ट्रक है तो उनमें Digital Lock and GPS लगाना अनिवार्य होगा।

XIII. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होंने Digital lock and GPS नहीं लगवाया है।

XIV. अनुज्ञप्तिधारी अपने Return ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।

XV. सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3 (तीन) वर्ष के लिए ही की जाएगी।

XVI. अनुज्ञप्ति शुल्क प्रति वर्ष 10000.00 (दस हजार) की दर से कुल 30000.00 (तीस हजार) रूपये प्रारंभ में ही लिये जाएगे।

XVII. अनुज्ञप्ति अवधि 3 वर्ष की अवधि के लिए 100000.00 (एक लाख) रूपये की बैंक गारंटी देनी होगी।

XVIII. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि GPS और Digital Lock सभी वाहनों में लगेगा किंतु बेलगाड़ी पर यह शर्त नहीं होगी।

3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशनः—सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का मूल्य (Ex GO Down Of BSMC) पर कमीशन देय होगा। कमीशन खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

4. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्चः— खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च वही होगा वही समाहर्त्ता तय करेंगे।

5. इच्छुक आवेदक निम्न प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं :—

Photo

XII. आवेदक का नाम :—

XIII. आवेदक का ईमेल तथा मोबाईल नंः—

XIV. आवेदक का स्थायी पता :'—

XV. आवेदक का व्यापारिक पता (जहां वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हैं) :—

XVI. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरण संबंधित दस्तावेज के अभिप्रमाणित प्रति के साथ बताये कि कार्यालय कितना बड़ा है एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी की संख्या—

XVII. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन हैं

XVIII. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किराये पर इसकी व्यवस्था कर सकते है। कृपया उक्त भूमि का रकबा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए।

XIX. यदि भूमि लीज पर ली गई है तो भूधारी का सहमति पत्र :—

XX. भूमि का दाखिल खारिज की रसीद :—

XXI. अनुज्ञप्ति रसीद की कॉपी/एल0पी0सी0 (जो कि खास पुराना नहीं हो) :—

XXII. संलग्न कागजाता :— आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करें।

(क) पेन कार्ड की प्रति।

(ख) आधार कार्ड की प्रति।

(ग) यदि आवेदक फर्म है तो उसके निबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(घ) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

6. निम्न प्रकार एक का शपथ पत्र :—

मैं ....(आवेदक का नाम एवं पता) घोषणा करता/करती हूँ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्त्ता के समक्ष दी गई सभी सूचनाएँ सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे समक्ष खान एवं भूतत्व विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है और न ही मुझे सरकार द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के तहत् दी गई सभी शर्तों तथा विज्ञापन में दी गई शर्तो का पालन करूंगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्ही वाहन धारियों से व्यवसाय करूँगा जिन पर GPS तथा Digital Lock लगा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूँगा और न बेचूँगा। जिस पर GPS एवं Digital Lock नहीं लगा होगा। मैं बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के सभी प्रावधान खान एवं भूतत्व विभाग तथा समाहर्त्ता, खगड़िया के द्वारा समय—समय पर दिये जाने वाली निर्देशों का पालन करूंगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

7. आवेदन दिनांक 05.12.2017 के संध्या 5.00 बजे तक जिला समाहरणालय, खगड़िया के पते पर स्वीकार किये जायेगें।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।